संख्या 19 /2015/896/62-1-2015/07डब्लू0पी0/2004टीसी-।।।

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। -
4- समस्त विभागाध्यक्ष्, उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ / दिनांक 28 जुलाई 2015 ,

विषय- शासकीय भवनों पर स्थापित रूफ टाप रेनवाटर हार्वेतस्टिंग स्ट्रक्चर्स के रख-रखाव/अनुरक्षण के संबंध में।

महोदय,

शहरी क्षेत्रों में भूगर्भ जल के अनियोजित दोहन के कारण् भूजल स्तर मे तेजी से हो रही गिरावट को रोकने व भूगर्भ जल की उपलब्धता में सुधार लाने के उददेश्य से समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफ टाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को अनिवार्य रूप से स्थापित किये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या- 1703ए/9-आ-1-29-विविध/98(आ0ब0), दिनांक 12 अप्रैल, 2001, संख्या- 3671/9-आ-1-17विविध/03(आ0ब0), दिनांक 19-6-2003 तथा संख्या- 1760/9-आ-1-04-17 विविध/2003, दिनांक 29-7-2004 द्वारा दिये गये हैं। अभी तक उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवस्थित लगभग 540 शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में यह प्रणाली स्थापित है। किन्तु यह देखा जा रहा है कि इनमें से अधिकांश रूफ टाप रेनवाटर हार्वेतस्टिंग स्ट्रक्चर्स के रख-रखाव/अनुरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण कुछ वर्षों में यह प्रणाली/ स्ट्रक्चर्स अक्रियाशील हो सकते हैं, जिससे इन प्रणालियों से भूजल स्रोतों में होने वाला रिचार्ज भी नगण्य हो सकता है।

2- इस संबंध में शासनादेश संख्या- 1216/62-1-2005-30जीडब्लू /2003, दिनांक 27 जून, 2005 द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि शासकीय भवनों में स्थापित उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रिचार्ज स्ट्रक्चर्स की वर्षा पूर्व सफाई करा ली जाये, जिससे वह अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करते रहें। इसके अतिरिक्त आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या- यू0ओ035/आठ-1-2005, दिनांक 25-04-2006 एवं संख्या- 3348/आठ-1-10-17विविध/03टीसी-1, दिनांक 05 अगस्त, 2010 में यह व्यवस्था दी गयी है कि रेनवाटर हार्वेतस्टिंग हेतु स्थापित रिचार्ज स्ट्रक्चर्स के अनुरक्षण एवं रख-रखाव का कार्य संबंधित विभाग/संस्था/लाभार्थी द्वारा सुनिश्चित किया जाय। निदेशक, भूगर्भ जल विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक तकनीकी दिशा-निर्देश अपने पत्र संख्या- 4567/भू0ज0वि0/नोडल एजेन्सी/ए-7(कोर टीम), दिनांक 30 सितम्बर, 2004 द्वारा सभी संबंधित को पूर्व में परिचालित किये जा चुके हैं।

3- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में भूगर्भ जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, विनियमित दोहन ओर प्रभावी संरक्षण हेतु शासनादेश संख्या- 280/62-1-2013-07डब्लूपी/2004टीसी-।।।, दिनांक 18 फरवरी, 2013 द्वारा भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु 'समग्र नीति' लागू की गयी है। समग्र नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि भूजल रिचार्ज संरचनाओं को क्रियाशील रखे जाने हेतु इन संरचनाओं के नियमित अनुरक्षण की व्यवस्था भी संबंधित योजनाओं में रखी जाये। उददेश्य यह है कि ऐसी रिचार्ज संरचनाओं की प्रभावकारिता बनी रहे और वर्षा जल से भूजल स्रोतों का समुचित संवर्धन होता रहे। इस संदर्भ में समग्र भूजल नीति के प्राविधानों के अन्तर्गत रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण एवं रख-रखाव /अनुरक्षण के संबंध में शासनादेश् संख्या- 807/62-1-2014-07डब्लूपी/2004टीसी-।।।, दिनांक 18 जून, 2014 द्वारा पुन सभी संबंधित को उक्त प्रणाली के निर्माण एवं उनके रख-रखाव के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीयअर्द्धशासकीय भवनों पर स्थापित रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की प्रभाकारिता बनाये रखने हेतु ऐसे समस्त रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का अनुरक्षण/रख-रखाव संबंधी कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण करा लिया जाये, अन्यथा स्थिति में इस कार्य हेतु वह समस्त विभाग/संस्थायें उत्तरदायी होगी, जिनके स्वामित्व में ऐसे भवन हैं।

अत: अनुरोध है कि रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के वार्षिक अनुरक्षण/रख-रखाव की व्यवस्था हेतु वित्तीय प्राविधान अपने विभागीय बजट में सुनिश्चित करते हुए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपने स्वामित्व वाले भवनों पर स्थापित रिचार्ज स्ट्रक्चर्स के अनुरक्षण/रख-रखाव हेतु की गयी कार्यवाही की सूचना विलम्बतम् 31 जुलाई, 2015 तक निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, 9वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ (upgwd.in@gmail.com) को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या 19 / 2015/896//62-1-2015,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- आवास आयुक्त, उ0प्र0।
4- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ।
5- प्रबन्ध् निदेशक, उ0प्र0 जल निगम/राजकीय निर्माण निगम/समाज कल्याण निगम/पुलिस आवास निगम, उ0प्र0।
6- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।